



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 2012/वैशाख 11, 1934

No. 797]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 2012/VAISAKHA 11, 1934

शहरी बिकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2012

का.आ. 957(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सुरक्षा आयुक्त, उत्तरी सर्किल, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 की सं. 2) के खंड 2 की धारा (च) में यथापरिभाषित अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजनाओं के संबंध में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नियुक्त करती है।

[फा. सं. के-14011/44/2011-एमआरटीएस/मेट्रो]

विमल कुजूर, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2012

S.O. 957(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby appoints the Commissioner of Railway Safety, Northern Circle, Delhi to act as the Commissioner of Metro Railway Safety in respect of the Metro Railway Projects in National Capital Region as defined in clause (f) of Section 2 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (No. 2 of 1985) with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No. K-14011/44/2011-MRTS/Metro]

BIMAL KUJUR, Under Secy.